



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2227]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2016/भाद्र 21, 1938

No. 2227]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2016/BHADRA 21, 1938

इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2016

का.आ. 2927(अ).—केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12 सितम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1 से धारा 10 और धारा 24 से धारा 47 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई]

आर. के. सुधांशु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2016

S.O. 2927(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby appoints the 12th day of September 2016, as the date on which the provisions of Sections 1 to 10 and 24 to 47 of the said Act shall come into force.

[F. No.13012/64/2016/Legal/UIDAI]

R. K. SUDHANSHU, Jt. Secy.